न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) 223RTA 164 of 2022 (GCMS 436 of 2022)

प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल जाति माली
निवासी मगरा पूंजला, नयाबास
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब
ना
म

1. गोपाराम के कायममुकामान-
   1.1. जगदीश पुत्र गोपाराम माली
   1.2. ढलसिंह पुत्र गोपाराम माली
   1.3. तखतसिंह पुत्र गोपाराम माली
   1.4. अशोक पुत्र गोपाराम माली
   1.5. चन्द्रसिंह पुत्र गोपाराम माली
   1.6. कमलादेवी पत्नी गोपाराम माली
   सभी निवासीगण मगरा पूंजला नयावास, तहसील व जिला जोधपुर
   1.7. तुलसी पुत्री गोपाराम पत्नी मोतीजी माली (गहलोत), निवासी हनुमानपुरा ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर
2. थोकलराम पुत्र गोबरराम
3. विजयसिंह पुत्र गोबरराम
4. कानाराम पुत्र हीराराम के कायममुकामान-
   4.1. रामसुखी पत्नी किशनसिंह माली निवासी जाळवाला बेरा, मण्डोर जोधपुर
   4.2. छग्गूबाई पत्नी प्रेमसिंह के कायममुकामान-
      4.2.1. सरिता पुत्री प्रेमसिंह माली निवासी बोडी बेरा पूंजला, जोधपुर
   4.3. राजुसिंह पुत्र कानाराम माली निवासी नया बास मगरा पूंजला जोधपुर
   4.4. एलू बाई पुत्री कानाराम माली

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी नया बास, मगरा पूंजला
जोधपुर

4.5. जयसिंह पुत्र कानाराम माली
निवासी नया बास, मगरा पूंजला
जोधपुर

4.6. बेबी पत्नी राजेन्द्रसिंह माली
निवासी ढाणा बेरा, मण्डोर
जोधपुर

5. दलपत पुत्र जमनीराम
6. राकेश पुत्र जमनीराम
7. अरुण पुत्र जमनीराम
8. पुकिया पत्नी जमनीराम
9. ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम
10. माना पुत्र प्रताप
11. चैनाराम पुत्र संतोक
12. हरिसिंह पुत्र संतोक
13. गणपतसिंह पुत्र संतोक
14. देवीसिंह पुत्र संतोक
उपरोक्त सभी जाति माली
निवासीगण मगरा पूंजला नयाबास
तहसील व जिला जोधपुर
15. बेजुसिंह पुत्र शार्दुलजी के कायममुकामान-
15.1. (राधा पत्नी बेजुसिंह फौत होने से नामतर्क)
15.2. केसुसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
15.3. शैतानसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
15.4. अर्जुनसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
15.5. कमलेश पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर
15.6. जतिन भाटी पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर
15.7. मिनाक्षी पत्नी रवीन्द्र सांखला पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर जोधपुर
15.8. योगिता पत्नी रमेश गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
15.9. छाया पत्नी प्रवीण गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

15.10. कमला पत्नी श्याम परिहार पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
15.11. लीला पत्नी संतोकसिंह गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
15.12. सुमित्रा पत्नी गोविन्द गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी खेखरिया बेरा, मण्डोर, जोधपुर
15.13. सरोज पत्नी मानसिंह गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर
15.14. वीणा पत्नी ज्ञानसिंह परिहार पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी रामसागर बेरा, भदवासिया, जोधपुर
15.15. स्नहेलता पत्नी लतेश गहलोत पुत्री बेजूसिंह भाटी जाति माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर

16. नेनसिंह पुत्र शार्दुलजी माली,
निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला
जोधपुर
17. बनजी पुत्र शार्दुलजी माली के कायममुकामान-
17.1. किशोरसिंह पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
17.2. महेन्द्र भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
17.3. दलपत भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
17.4. चिमनसिंह भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
17.5. तारा गहलोत पत्नी भजनसिंह पुत्री बनजी भाटी, निवासी भगाडी, बाल समन्द, जोधपुर
17.6. ललिता पत्नी नरेन्द्र गहलोत, निवासी बोडीयों वाला बेरा, माता का थान, जोधपुर
17.7. रेखा पत्नी महेन्द्र टाक, निवासी नवोडा बेरा, माता का थान, जोधपुर

18. भगवती नारायण पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन,
निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान,
तहसील व जिला जोधपुर
19. संतोष कुमार पुत्र श्रृद्धानन्द जाति बाह्मन, निवासी
राईका बेरा, बासनी मालियान,
तहसील व जिला जोधपुर
20. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार, जोधपुर

रेस्पो. ...

24-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व वाद संख्या 56/2021 (94/2011(76/2006)) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान इत्यादि

उपस्थित-

श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 3
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6 से 8
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

(2) <u>223RTA 165 of 2022 (GCMS 434 of 2022)</u>

1. जगदीश पुत्र गोपाराम माली
2. ढलसिंह पुत्र गोपाराम माली
3. तखतसिंह पुत्र गोपाराम माली
4. अशोक पुत्र गोपाराम माली
5. चन्द्रसिंह पुत्र गोपाराम माली
6. कमला पत्नी गोपाराम माली
   सभी निवासीगण मगरा पूंजला नयावास,
   तहसील व जिला जोधपुर
7. तुलसी पुत्री गोपाराम पत्नी मोतीजी माली (गहलोत),
   निवासी हनुमानपुरा ग्राम चौखा
   तहसील व जिला जोधपुर
8. ढोकलराम पुत्र गोवरराम
   निवासी मगरा पूंजला नयावास,
   तहसील व जिला जोधपुर
9. विजयसिंह पुत्र गोवरराम
   निवासी मगरा पूंजला नयावास,
   तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

24.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1. प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल जाति माली
   निवासी मगरा पूंजला, नयावास
   तहसील व जिला जोधपुर
2. कानाराम पुत्र हीराराम के कायममुकामान-
   2.1. रामसुखी पत्नी किशनसिंह माली
        निवासी जाळवाला बेरा, मण्डोर
        जोधपुर
   2.2. छग्गूबाई पत्नी प्रेमसिंह के कायममुकामान-
        2.2.1. सरिता पुत्री प्रेमसिंह माली
               निवासी बोडी बेरा पूंजला,
               जोधपुर
   2.3. राजुसिंह पुत्र कानाराम माली
        निवासी नया बास मगरा पूंजला
        जोधपुर
   2.4. एलू बाई पुत्री कानाराम माली
        निवासी नया बास, मगरा पूंजला
        जोधपुर
   2.5. जयसिंह पुत्र कानाराम माली
        निवासी नया बास, मगरा पूंजला
        जोधपुर
   2.6. बेबी पत्नी राजेन्द्रसिंह माली
        निवासी ढाणा बेरा, मण्डोर
        जोधपुर
3. दलपत पुत्र जमनीराम
4. राकेश पुत्र जमनीराम
5. अनु पुत्र जमनीराम
6. पुकिया पत्नी जमनीराम
7. ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम
8. माना पुत्र प्रताप
9. चैनाराम पुत्र संतोक
10. हरिसिंह पुत्र संतोक
11. देवीसिंह पुत्र संतोक
    उपरोक्त सभी जाति माली
    निवासीगण मगरा पूंजला नयावास
    तहसील व जिला जोधपुर
12. बेजुसिंह पुत्र शार्दुलजी के कायममुकामान-
    12.1. (राधा पत्नी बेजुसिंह फौत होने से नामतर्क)
    12.2. केसुसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12.3. शैतानसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.4. अर्जुनसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.5. कमलेश पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर

12.6. जतिन भाटी पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर

12.7. मिनाक्षी पत्नी रवीन्द्र सांखला पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर जोधपुर

12.8. योगिता पत्नी रमेश गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

12.9. छाया पत्नी प्रवीण गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.10. कमला पत्नी श्याम परिहार पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.11. लीला पत्नी संतोकसिंह गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.12. सुमित्रा पत्नी गोविन्द गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी खोखरिया बेरा, मण्डोर, जोधपुर

12.13. सरोज पत्नी मानसिंह गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर

12.14. वीणा पत्नी ज्ञानसिंह परिहार पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी रामसागर बेरा, भदवासिया, जोधपुर

12.15. स्नहेलता पत्नी लतेश गहलोत पुत्री बेजूसिंह भाटी जाति माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर

13. नेनसिंह पुत्र शार्दुलजी माली,
निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला
जोधपुर

14. बनजी पुत्र शार्दुलजी माली के कायममुकामान-

14.1. किशोरसिंह पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

14.2. महेन्द्र भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

14.3. दलपत भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

14.4. चिमनसिंह भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

14.5. तारा गहलोत पत्नी भजनसिंह पुत्री बनजी भाटी, निवासी भगाडी, बाल समन्द, जोधपुर

24-1-24

14.6. ललिता पत्नी नरेन्द्र गहलोत, निवासी बोडीयों वाला बेरा, माता का थान, जोधपुर
14.7. रेखा पत्नी महेन्द्र टाक, निवासी नवोडा बेरा, माता का थान, जोधपुर

15. भगवती नारायण पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन, निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान, तहसील व जिला जोधपुर
16. संतोष कुमार पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन, निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान, तहसील व जिला जोधपुर
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व वाद संख्या 56/2021 (94/2011(76/2006)) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17

(3) <u>223RTA 168 of 2022 (GCMS 435 of 2022)</u>

ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम जाति माली
निवासी मगरा पूंजला, नयावास
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गोपाराम के कायममुकामान-
   1.1. जगदीश पुत्र गोपाराम माली

25-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1.2. ढलसिंह पुत्र गोपाराम माली
1.3. तखतसिंह पुत्र गोपाराम माली
1.4. अशोक पुत्र गोपाराम माली
1.5. चन्द्रसिंह पुत्र गोपाराम माली
1.6. कमलादेवी पत्नी गोपाराम माली
सभी निवासीगण मगरा पूंजला नयाबास,
तहसील व जिला जोधपुर
1.7. तुलसी पुत्री गोपाराम पत्नी मोतीजी माली
(गहलोत), निवासी हनुमानपुरा ग्राम चौखा
तहसील व जिला जोधपुर

2. थोकलराम पुत्र गोवरराम
3. विजयसिंह पुत्र गोवरराम
4. कानाराम पुत्र हीराराम के कायममुकामान-

4.1. रामसुखी पत्नी किशनसिंह माली
निवासी जाळवाला बेरा, मण्डोर
जोधपुर
4.2. छग्गूबाई पत्नी प्रेमसिंह के कायममुकामान-
4.2.1. सरिता पुत्री प्रेमसिंह माली
निवासी बोडी बेरा पूंजला,
जोधपुर
4.3. राजुसिंह पुत्र कानाराम माली
निवासी नया बास मगरा पूंजला
जोधपुर
4.4. एलू बाई पुत्री कानाराम माली
निवासी नया बास, मगरा पूंजला
जोधपुर
4.5. जयसिंह पुत्र कानाराम माली
निवासी नया बास, मगरा पूंजला
जोधपुर
4.6. बेबी पत्नी राजेन्द्रसिंह माली
निवासी ढाणा बेरा, मण्डोर
जोधपुर

5. दलपत पुत्र जमनीराम
6. राकेश पुत्र जमनीराम
7. अरुण पुत्र जमनीराम
8. पुकिया पत्नी जमनीराम
9. प्रेमसिंह पुत्र लालाराम
10. माना पुत्र प्रताप
11. चैनाराम पुत्र संतोक
12. हरिसिंह पुत्र संतोक
13. गणपतसिंह पुत्र संतोक

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. देवीसिंह पुत्र संतोक
    उपरोक्त सभी जाति माली
    निवासीगण मगरा पूंजला नयावास
    तहसील व जिला जोधपुर
15. बेजुसिंह पुत्र शार्दुलजी के कायममुकामान-
    15.1. (राधा पत्नी बेजुसिंह फौत होने से नामतर्क)
    15.2. केसुसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
    15.3. शैतानसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
    15.4. अर्जुनसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
    15.5. कमलेश पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर
    15.6. जतिन भाटी पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर
    15.7. मिनाक्षी पत्नी रवीन्द्र सांखला पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर जोधपुर
    15.8. योगिता पत्नी रमेश गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
    15.9. छाया पत्नी प्रवीण गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
    15.10. कमला पत्नी श्याम परिहार पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
    15.11. लीला पत्नी संतोकसिंह गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
    15.12. सुमित्रा पत्नी गोविन्द गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी खेखरिया बेरा, मण्डोर, जोधपुर
    15.13. सरोज पत्नी मानसिंह गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर
    15.14. वीणा पत्नी ज्ञानसिंह परिहार पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी रामसागर बेरा, भदवासिया, जोधपुर
    15.15. स्नेहलता पत्नी लतेश गहलोत पुत्री बेजूसिंह भाटी जाति माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर
16. नेनसिंह पुत्र शार्दुलजी माली,
    निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला
    जोधपुर
17. बनजी पुत्र शार्दुलजी माली के कायममुकामान-
    17.1. किशोरसिंह पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

हि॰
24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

17.2. महेन्द्र भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

17.3. दलपत भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

17.4. चिमनसिंह भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर

17.5. तारा गहलोत पत्नी भजनसिंह पुत्री बनजी भाटी, निवासी भगाडी, बाल समन्द, जोधपुर

17.6. ललिता पत्नी नरेन्द्र गहलोत, निवासी बोडीयों वाला बेरा, माता का थान, जोधपुर

17.7. रेखा पत्नी महेन्द्र टाक, निवासी नवोडा बेरा, माता का थान, जोधपुर

18. भगवती नारायण पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन, निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान, तहसील व जिला जोधपुर

19. संतोष कुमार पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन, निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान, तहसील व जिला जोधपुर

20. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार, जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व वाद संख्या 56/2021 (94/2011(76/2006)) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान इत्यादि

उपस्थित-

श्री ओंकारसिंह सांखला, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री किसनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6 से 8
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

<u>नि र्ण य</u>

दिनांक : 24 जनवरी 2024

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 56/2021 प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामन

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व अन्य में पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2022 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत आलौच्य तीनों अपीलें प्रस्तुत की है।

.संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम बासनी मालियान तहसील व जिला जोधपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा में पुश्तैनी आधार पर स्वयं का 1/12 हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा, नाप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 व 9 से 19 द्वारा जवाब पेश कर वादी-अपीलाण्ट के वाद का समर्थन किया गया, जिनमे से प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा जवाबदावा के साथ काउण्टर क्लेम पेश कर वादग्रस्त आराजियात में पुश्तेनी आधार पर स्वयं का भी 1/12 हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 6 से 8 द्वारा कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश कर वाद का विरोध किया गया। दावे, जवाबदावे, काउण्टर क्लेम एवं जवाबुल-जवाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गयी और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2022 पारित करते हुए उक्त दावा आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया और प्रतिवादी संख्या 9 का काउण्टर क्लेम खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ वादी-अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील संख्या 2022/164 (GCMS#2022/436) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान व अन्य, प्रतिवादी संख्या एक गोपाराम के कायममुकामान जगदीश इत्यादि ने अपील संख्या 2022/165 (GCMS#2022/434)

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जगदीश व अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि और प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह ने अपील संख्या 2022/168 (GCMS#2022/435) ज्ञानसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान प्रस्तुत की है।

इन तीनों अपीलों के पक्षकारान, अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी, वादग्रस्त आराजियात आदि समान होने के कारण उभयपक्षकारान की सहमति से इनका निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

बहस सुनी गयी। अपील संख्या 2022/164 (GCMS#2022/436) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान व अन्य में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार मदरूपजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात उनके तीन पुत्रों हीरोजी, थूलोजी उर्फ थूडजी व गिरथारी के नाम दर्ज हुई। वादी-अपीलाण्ट थूलोजी उर्फ थूडजी का प्रपौत्र है एवं मन्नोजी का पुत्र है। वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार मदरूपजी के तीन पुत्र हीरोजी, थूलोजी उर्फ थूडाजी एवं गिरथारी हुए, इनमें से थूलोजी उर्फ थूडाजी के चार पुत्र गोवर जी, मुन्नोजी, परसराम एवं लालाजी हुए, और लालाजी का पुत्र ज्ञानसिंह हुआ। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्सा मदरूप के देहान्त के बाद थूलोजी उर्फ थूडाजी में निहित हुआ और थूलोजी उर्फ थूडाजी के देहान्त के बाद उनके चार पुत्रों प्रत्येक के हक में वादग्रस्त आराजियात का 1/12 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट-वादी प्रेमसिंह पुत्र मुन्नोजी का 1/12 हिस्सा निहित होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पो.-प्रतिवादीगण संख्या 4, 5 व 9 से 19 द्वारा वादी-अपीलाण्ट के वाद का समर्थन करते हुए डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया गया, प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 6 से 8 द्वारा वाद का कोई जवाब ही पेश नहीं किया गया, इस कारण वादी-अपीलाण्ट के वाद बावत उनकी मौन स्वीकृति अभिधारित की जानी चाहिये। मामले में प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 तथा प्रतिवादी संख्या एक सगे भाई है, अतः उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिये, मगर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया

25-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गया और वादी-अपीलाण्ट का दावा आंशिक तौर पर स्वीकार करने में गम्भीर विधिक भूल की गयी है। वादी-अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद की पुष्टि में खतौनी संवत 1982 पेश की गयी, जिसमें वादग्रस्त आराजियात हीरा, गिरधारी एवं धूला पिंसरान मदरूप जी की खातेदारी में दर्ज होना स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक के विवेचन के दौरान माना है। खतौनी संवत 1982 में वर्णित खातेदारान को कभी वादग्रस्त आराजियात से बेदखल किया गया हो, ऐसी स्थिति में संवत 1999 की खतौनी दोषपूर्ण होने से उसका कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है। अतः खतौनी संवत 1999 में मुन्नो जी व लाला का कब्जा नहीं होने से नाम दर्ज नहीं किया जाना मानने में विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की गयी है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि मदरूपजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात बाबत उत्तरोत्तर उनके वारिसान को पीढी-दर-पीढी विरासत में पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित हुए है, ऐसी स्थिति में किसी एक या एक से अधिक वंशज का भौतिक कब्जा नहीं भी माना जावे तो भी वादग्रस्त आराजियात बाबत उसके पुश्तैनी अधिकार समाप्त नहीं होते है। प्रदर्श-4 कमिश्नर की मौका रिपोर्ट का भी किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है अपितु मौका कमिश्नर की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को रेस्पो. द्वारा जिरह के दौरान स्वीकार भी किया गया है। अंत में वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह के अधिवक्ता ने अपील संख्या 2022/164 (GCMS#2022/436) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायमगुकामान स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अपील संख्या 2022/165 (GCMS#2022/434) जगदीश व अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि के संबंध में प्रतिवादी संख्या एक गोपाराम के कायमनुकामान जगदीश इत्यादि के अधिववता ने तथ्यों एवं अपील मीगों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. प्रेमसिंह द्वारा अपने वाद में वर्णित अभिकथनों को साबित नहीं किया गया है, वादी-रेस्पो. प्रेमसिंह स्वयं को मुन्नो जी का पुत्र होना साबित ही नहीं कर

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पाया है ऐसी स्थिति में मूल दावा स्वीकार किये जाने योग्य ही नहीं रहता है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. प्रेमसिंह द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त आराजियात में उसका कोई अधिकार होना साबित होता हो, स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. प्रेमसिंह की ओर से प्रस्तुत गवाहान के कथनों पर विश्वास नहीं किया गया है। इसके उपरान्त भी दावा आंशिक तौर स्वीकार कर लिया गया, जो विधिसम्मतः नही है। तनकी संख्या 2 , 3 व 4 बाबत विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार निष्कर्ष पारित नहीं किया गया जबकि प्रत्येक तनकी बाबत साक्ष्य के अनुसार निष्कर्ष पारित किया जाना आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम भी बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया, जो सही नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील संख्या 2022/165 (GCMS#2022/434) जगदीश व अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अपील संख्या 2022/168 (GCMS#2022/435) ज्ञानसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान के संबंध में अपीलाण्ट-प्रतिवादी ज्ञानसिंह के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों एवं साक्ष्य की विवेचना किये बिना विधि के आज्ञापक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए पारित किया गया है और अपीलाण्ट-प्रतिवादी ज्ञानसिंह का प्रतिवाद (कास आब्जेक्शन) अस्वीकार किया गया, जबकि प्रतिवादी-अपीलाण्ट के कास आब्जेक्शन का किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। मामले में रेस्पों. की ओर से इन तथ्यों को स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार मदरूपजी के तीन पुत्र हीरोजी, धूलोजी उर्फ धूडाजी एवं गिरधारी हुए, इनमें से धूलोजी उर्फ धूडाजी के चार पुत्र गोवर जी, मुन्नोजी, परसराम एवं लालाजी हुए, और लालाजी का पुत्र ज्ञानसिंह हुआ। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात के 1/3

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हिस्सा मदरूप के देहान्त के बाद थूलोजी उर्फ थूडाजी में निहित हुआ और थूलोजी उर्फ थूडाजी के देहान्त के बाद उनके चार पुत्रों प्रत्येक के हक में वादग्रस्त आराजियात का 1/12 हिस्सा निहित हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट-प्रतिवादी ज्ञानसिंह पुत्र लालाजी का 1/12 हिस्सा निहित होता है, जो पक्षकारान की सहमति एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर भलीभांति सिद्ध होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सबूत अथवा मौखिक गवाह अथवा जिरह में यह कतई प्रकट नहीं हुआ कि खतौनी संवत 1982 में वर्णित खातेदारान को कभी वादग्रस्त आराजियात से बेदखल किया गया हो, ऐसी स्थिति में संवत 1999 की खतौनी का कोई विधिक महत्व नहीं रह जाता है। प्रदर्श-4 कमिश्नर की मौका रिपोर्ट का भी किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है और न ही काउण्टर क्लेम का कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील संख्या 2022/168 (GCMS#2022/435) ज्ञानसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 2022/164 (GCMS#2022/436) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान व अन्य तथा अपील संख्या 2022/168 (GCMS#2022/435) ज्ञानसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6 से 8 ने कथन किया कि मौके पर अपीलाण्ट्स का कब्जा ही नहीं है। अतः प्रस्तुत अपीलें खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। दावे, जवाबदावे, काउण्टर क्लेम एवं जवाबुल-जवाब के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दादरसी सहित कुल सात तनकियात कायम की गयी, जिनमें से तनकी संख्या एक से तीन को सिद्ध करने का दायित्व वादी प्रेमसिंह पर रखा गया, तनकी संख्या चार व पांच बाबत सिद्धभार प्रतिवादी संख्या एक गोपाराम के वारिसान पर तथा तनकी संख्या 8

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह पर रखा गया। इन तनकियात के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष सहित उपलब्ध अभिलेख के आधार पर निम्नानुसार विवेचन किया जा रहा है-

तनकी संख्या एक आया वादी वादग्रस्त भूमि मौजा बासनी मालियान तहसील व जिला जोधपुर के 1/12 हिस्से का खसरा संख्या 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा पर वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने का अधिकारी है, बाबत उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित होता है कि अपने वाद की ताईद में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट-वादी प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल द्वारा खतौनी ग्राम बासनी मालियान परगना जोधपुर संवत 1982 प्रस्तुत की है जिसमें वादग्रस्त आराजियात बाबत **"हीरा ने गिरधारी ने थूडा बेटा मदरूप रा जातरा माली सांखला बासी गांवरा बहिस्सा मीजान बराबर"** दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या एक बाबत विवेचन करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया है किन्तु इसके बाद वादग्रस्त आराजियात बाबत जारी खतौनी संवत 1999 में हीरा पुत्र मदरूप, गोबर फरिया पिसरान थूला व मुकियों पुत्र गिरधारी का ही नाम दर्ज होने से लाला व मुन्नो की काश्त नहीं होना मानते हुए तनकी संख्या एक का निष्कर्ष वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल के खिलाफ पारित किया गया है, जो सही नहीं है क्योंकि जब खतौनी संवत 1982 में वादग्रस्त आराजियात मदरूपजी के तीनों पुत्र हीरा, थूडा उर्फ थूला तथा गिरधारी के नाम दर्ज है और **खतौनी संवत 1999 में उक्त तीनों में से हीरा स्वयं, थूला के दो पुत्रों गोबर व फरिया (परसराम) तथा गिरधारी के पुत्र मुकियो (मुकना) का नाम दर्ज है तो वादग्रस्त आराजियात में पुश्तैनी आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकारों से थूला उर्फ थूला के अन्य वारिसान को उनका कब्जा नहीं होना उल्लेखित करते हुए वंचित नहीं किया जा सकता है।** उल्लेखनीय है कि तनकी संख्या चार बाबत साक्ष्य सबूत का विवेचन करते हुए **विचारण न्यायालय द्वारा वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह को मुन्नालाल का जाइन्दा पुत्र होना स्वीकार किया है।** जो वंशवृक्ष वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह द्वारा अपने

हि
25-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादपत्र में वर्णित किया गया है, उसका किसी ठोस साक्ष्य सबूत के आधार पर कोई खण्डन नहीं हुआ है। अतः तनकी संख्या एक वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह के पक्ष में निर्णित की जाकर उसे अविभाजित वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बासनी मालियान के 1/12 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

तनकी संख्या एक बाबत पारित निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में **तनकी संख्या दो** आया वादीग्रस्त आराजी का वादी विभाजन की डिक्री पाने का अधिकारी है, का निस्तारण वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल के पक्ष में किया जाता है। इसी प्रकार **तनकी संख्या तीन** आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है, भी वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल के पक्ष में निर्णित की जाती है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं पक्षकारान के बयानात व जिरह का समुचित विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए **तनकी संख्या चार** आया मुन्नीलालजी लाऔलाद फौत हुए एवं वादी उनका पुत्र नहीं है, का निस्तारण वादी प्रेमसिंह के हक में किया गया है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

तनकी संख्या पांच आया वादग्रस्त भूमियों का पूर्व में विभाजन हो जाने व वादी मौके पर काबिज नहीं होने से वाद वादी निरस्त योग्य है, का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारन के मध्य पूर्व में हुए तथाकथित मौखिक विभाजन एवं उसके आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 129 के परिप्रेक्ष्य में वादी के खिलाफ तथा प्रतिवादी के पक्ष में किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त आराजियात बाबत पुश्तैनी आधार पर 1/12 हिस्से के अधिकारी वादी प्रेमसिंह को सम्मिलित करते हुए किसी प्रकार का मौखिक बंटवारा होना उपलब्ध अभिलेख से सिद्ध नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार मदरूपजी के सभी वारिसान को तथाकथित मौखिक बंटवारे में सम्मिलित किये बिना एवं सभी

25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वारिसान को उनका हिस्सा बंटवारे में दिये बिना किया गया मौखिक विभाजन न्यायोचित नहीं होने से ऐसे विभाजन के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन संख्या 129 एवं उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजत विधिसम्मतः नहीं पाये जाते है। अतः तनकी संख्या पांच बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा नहीं मानते हुए **तनकी संख्या छः** आया मौजा बासनी मालियान स्थित खसरा संख्या 243 प्रतिवादी संख्या 9 काउण्टर वाद के जरिये खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, बाबत निष्कर्ष प्रतिवादी संख्या नौ के खिलाफ पारित किया गया है, जिससे अदालत हाजा सहमत नहीं है। जो वंशवृक्ष वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित किया गया है, उसका किसी ठोस साक्ष्य सबूत के आधार पर कोई खण्डन नहीं हुआ है। साथ ही तनकी संख्या एक का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट हो चुका है कि जब खतौनी संवत 1982 में वादग्रस्त आराजियात मदरूपजी के तीनों पुत्र हीरा, थूडा उर्फ थूला तथा गिरधारी के नाम दर्ज है और **खतौनी संवत 1999 में उक्त तीनों में से हीरा स्वयं, थूला के दो पुत्रों गोबर व फरिया (परसराम) तथा गिरधारी के पुत्र मुकियो (मुकना) का नाम दर्ज है तो वादग्रस्त आराजियात में पुश्तैनी आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकारों से थूला उर्फ थूला के अन्य वारिसान को उनका कब्जा नहीं होना उल्लेखित करते हुए वंचित नहीं किया जा सकता है।** अतः प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह जो कि वादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार मदरूपजी के पुत्र थुलोजी उर्फ थूडाजी के पुत्र लालाराम का पुत्र है, को भी वादी प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल के समान ही वादग्रस्त आराजियात के 1/12 हिस्से बाबत पुश्तैनी आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित होते है। अतः इसी अनुसार तनकी संख्या 6 का निस्तारण प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम के पक्ष में किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व खसरा संख्या 270 रकबा 9 बीघा 05

हि॰
25.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बिस्वा वाके मौजा बासनी मालियान का मूल खातेदार मदरूपजी होना, मदरूपजी के देहान्त के बाद उक्त आराजियात में उनके तीन पुत्रों हीरोजी, धूलोजी उर्फ धूडजी व गिरधारी प्रत्येक को ⅓-⅓ हिस्से बाबत खातेदारी अधिकार अर्जित होना साबित होता है और इसी आधार पर धूलोजी उर्फ धूडजी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजियात में उनके चार पुत्रों गोबरजी, मुन्नोजी, परसरामजी और लालो जी प्रत्येक को वादग्रस्त आराजियात में धूलोजी उर्फ धूडजी के ⅓ हिस्से का ¼-¼ हिस्से बाबत खातेदारी अधिकारी विरासतन अर्जित होना प्रकट होता है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतानुसार मुन्नोजी का एकमात्र पुत्र वादी प्रेमसिंह होना तथा लालोजी का इकलौता पुत्र प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह होना पाया जाता है। इसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादी प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल (मुन्नोजी) का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम (लालोजी) का 1/12 हिस्सा होना भली भांति साबित हो जाता है।

इन सभी तथ्यों, परिस्थितियों, विधिक प्रावधानों एवं किये गये विवेचन के आधार पर आलौच्य अपीलों का निम्नानुसार निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 सितम्बर 2022 संशोधित किया जाता है-

1. वादी-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/164 (GCMS#2022/436) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान व अन्य स्वीकार की जाती है और वादग्रस्त आराजियात अविभाजित खसरा नम्बरान 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा बासनी मालियान में वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल का 1/12 हिस्सा घोषित करते हुए उसे अपने हिस्से की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के जरिये पृथक कराये जाने का अधिकार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या एक गोपाराम के कायममुकामान जगदीश इत्यादि द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/165 (GCMS#2022/434) जगदीश व

24.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है।

3. प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/168 (GCMS#2022/435) ज्ञानसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान स्वीकार की जाती है और वादग्रस्त आराजियात अविभाजित खसरा नम्बरान 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा बासनी मालियान में प्रतिवादी संख्या नौ-अपीलाण्ट ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम का 1/12 हिस्सा घोषित करते हुए उसे अपने हिस्से की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के जरिये पृथक कराये जाने का अधिकार घोषित किया जाता है।
4. तदनुसार विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिवत विभाजन प्रस्ताव तलब किये जावे और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए फाइनल डिक्री मय स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-1-24
(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. जगदीश पुत्र गोपाराम माली
2. ढलसिंह पुत्र गोपाराम माली
3. तखतसिंह पुत्र गोपाराम माली
4. अशोक पुत्र गोपाराम माली
5. चन्द्रसिंह पुत्र गोपाराम माली
6. कमला पत्नी गोपाराम माली
   सभी निवासीगण मगरा पूंजला नयाबास,
   तहसील व जिला जोधपुर
7. तुलसी पुत्री गोपाराम पत्नी मोतीजी माली (गहलोत),
   निवासी हनुमानपुरा ग्राम चौखा
   तहसील व जिला जोधपुर
8. ढोकलराम पुत्र गोबरराम
   निवासी मगरा पूंजला नयाबास,
   तहसील व जिला जोधपुर
9. विजयसिंह पुत्र गोबरराम
   निवासी मगरा पूंजला नयाबास,
   तहसील व जिला जोधपुर

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल
   जाति माली
   निवासी मगरा पूंजला, नयाबास
   तहसील व जिला जोधपुर
2. कानाराम पुत्र हीराराम के कायममुकामान-
   - 2.1. रामसुखी पत्नी किशनसिंह माली
     निवासी जाळवाला बेरा, मण्डोर
     जोधपुर
   - 2.2. छग्गूबाई पत्नी प्रेमसिंह के कायममुकामान-
     - 2.2.1. सरिता पुत्री प्रेमसिंह माली
       निवासी बोडी बेरा पूंजला,
       जोधपुर
   - 2.3. राजुसिंह पुत्र कानाराम माली
     निवासी नया बास मगरा पूंजला
     जोधपुर
   - 2.4. एलू बाई पुत्री कानाराम माली
     निवासी नया बास, मगरा पूंजला
     जोधपुर
   - 2.5. जयसिंह पुत्र कानाराम माली
     निवासी नया बास, मगरा पूंजला
     जोधपुर
   - 2.6. बेबी पत्नी राजेन्द्रसिंह माली
     निवासी ढाणा बेरा, मण्डोर

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जोधपुर

3. दलपत पुत्र जमनीराम
4. राकेश पुत्र जमनीराम
5. अनु पुत्र जमनीराम
6. पुकिया पत्नी जमनीराम
7. ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम
8. माना पुत्र प्रताप
9. चैनाराम पुत्र संतोक
10. हरिसिंह पुत्र संतोक
11. देवीसिंह पुत्र संतोक

उपरोक्त सभी जाति माली निवासीगण मगरा पूंजला नयावास
तहसील व जिला जोधपुर

12. बेजुसिंह पुत्र शार्दुलजी के कायममुकामान-
    - 12.1. (राधा पत्नी बेजुसिंह फौत होने से नामतर्क)
    - 12.2. केसुसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
    - 12.3. शैतानसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
    - 12.4. अर्जुनसिंह पुत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला, जोधपुर
    - 12.5. कमलेश पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर
    - 12.6. जतिन भाटी पुत्र छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली (भाटी) निवासी गोकुल प्याउ नयापुरा रोड, जोधपुर
    - 12.7. मिनाक्षी पत्नी रवीन्द्र सांखला पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी महामन्दिर तीसरी पोल के बाहर जोधपुर

25-1-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

12.8. योगिता पत्नी रमेश गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी सालावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

12.9. छाया पत्नी प्रवीण गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्री बेजूसिंह माली निवासी गहलोतों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.10. कमला पत्नी श्याम परिहार पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.11. लीला पत्नी संतोकसिंह गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी परिहारों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर

12.12. सुमित्रा पत्नी गोविन्द गहलोत पुत्री बेजूसिंह माली, निवासी खोखरिया बेरा, मण्डोर, जोधपुर

12.13. सरोज पत्नी मानसिंह गहलोत पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर

12.14. वीणा पत्नी ज्ञानसिंह परिहार पुत्री छंवरलाल पौत्र बेजूसिंह माली, निवासी रामसागर बेरा, भदवासिया, जोधपुर

12.15. स्नहेलता पत्नी लतेश गहलोत पुत्री बेजूसिंह भाटी जाति माली, निवासी गहलोतों का बास, मगरा, जोधपुर

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. नेनसिंह पुत्र शार्दुलजी माली,
निवासी राईका बेरा, मगरा पूंजला
जोधपुर
14. बनजी पुत्र शार्दुलजी माली के कायममुकामान-
14.1. किशोरसिंह पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
14.2. महेन्द्र भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
14.3. दलपत भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
14.4. चिमनसिंह भाटी पुत्र बनजी भाटी, निवासी राईकाबेरा मगरा पूंजला, जोधपुर
14.5. तारा गहलोत पत्नी भजनसिंह पुत्री बनजी भाटी, निवासी भगाडी, बाल समन्द, जोधपुर
14.6. ललिता पत्नी नरेन्द्र गहलोत, निवासी बोडीयों वाला बेरा, माता का थान, जोधपुर
14.7. रेखा पत्नी महेन्द्र टाक, निवासी नवोडा बेरा, माता का थान, जोधपुर
15. भगवती नारायण पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन, निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान,
तहसील व जिला जोधपुर
16. संतोष कुमार पुत्र श्रृद्धानन्द जाति ब्राह्मन, निवासी राईका बेरा, बासनी मालियान,

25.1.25
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसील व जिला जोधपुर
17. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06 सितम्बर 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर राजस्व वाद संख्या 56/2021 (94/2011(76/2006)) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 24 जनवरी 2024 बहाजरी श्री रोशनलाल गोपालसिंह अधिवक्ता-अपीलाण्ट तथा राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि सभी तथ्यों, परिस्थितियों, विधिक प्रावधानों एवं किये गये विवेचन के आधार पर आलौच्य अपीलों का निम्नानुसार निस्तारण करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06 सितम्बर 2022 संशोधित किया जाता है-

1. वादी-अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/164 (GCMS#2022/436) प्रेमसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान व अन्य स्वीकार की जाती है और वादग्रस्त आराजियात अविभाजित खसरा नम्बरान 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा बासनी मालियान में वादी-अपीलाण्ट प्रेमसिंह पुत्र मुन्नालाल का 1/12 हिस्सा घोषित करते हुए उसे अपने हिस्से की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के जरिये पृथक कराये जाने का अधिकार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या एक गोपाराम के कायममुकामान जगदीश इत्यादि द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/165 (GCMS#2022/434) जगदीश व अन्य बनाम प्रेमसिंह इत्यादि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या नौ ज्ञानसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2022/168 (GCMS#2022/435) ज्ञानसिंह बनाम गोपाराम के कायममुकामान स्वीकार की जाती है और वादग्रस्त आराजियात अविभाजित खसरा नम्बरान 243 रकबा 7 बीघा 05 बिस्वा व 270 रकबा 9 बीघा 05 बिस्वा वाके मौजा बासनी मालियान में प्रतिवादी संख्या नौ-अपीलाण्ट ज्ञानसिंह पुत्र लालाराम का 1/12 हिस्सा घोषित करते हुए उसे अपने हिस्से की भूमि बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन के जरिये पृथक कराये जाने का अधिकार घोषित किया जाता है।

24.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिवत विभाजन तलब किये जावे और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए फाइनल डिक्री मय स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 24 जनवरी 2024 को जारी किया गया।

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराय हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर